



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253024  
CG-DL-E-15032024-253024

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 64]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

सं. 51/2023

विषय:- प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.14 और 4.06 में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/084/एम-24/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 तथा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.14 और 4.06 के प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

(क) एचबीपी 2023 के पैरा 4.14 के तहत, नीचे यथा उल्लिखित किए अनुसार नया उप-पैरा (iii) जोड़ा गया है:

(iii) तदर्थ निविष्टि उत्पादन मानदंड, नियम आधारित आईटी परिवेश में मानदंड समिति के संदर्भ के बिना भी निर्धारित किए जा सकते हैं। तथापि, आरएमएस द्वारा चिह्नित मामलों का कतिपय प्रतिशत वैधीकरण/समीक्षा के लिए मानदंड समिति को भेजा जा सकता है।

(ख) एचबीपी 2023 का एक नया उप पैरा 4.06 (vii) निम्नानुसार शामिल किया गया है:

4.06(vii) ऐसे मामलों में जहां मानदंड समिति द्वारा तदर्थ मानदंड पहले ही आ चुके हैं, मानदंड समिति मामले-दर-मामले के आधार पर सिओन की अधिसूचना की सिफारिश कर सकती है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: व्यवसाय करने में सुगमता और व्यापार सुविधा के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत मानदंडों के निर्धारण और नए सीओन की अधिसूचना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.06 और पैरा 4.14 में संशोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 14th March, 2024

**No. 51 /2023**

**Subject: Amendments in Para 4.14 and 4.06 of the Handbook of Procedures 2023.**

**F. No. 01/94/180/084/AM24/PC-4.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the provisions of Para 4.14 and 4.06 of the Handbook of Procedures 2023:

**(A) Under Para 4.14 of HBP 2023, new sub-para (iii) is added as mentioned below:**

(iii) Ad-hoc Input Output Norms may also be decided in a rule based IT environment without reference to Norms Committee. However, a certain percentage of cases as flagged by the RMS may be referred to Norms Committee for validation / review.

**(B) A new sub para 4.06 (vii) of HBP 2023 is inserted as below:**

4.06(vii) In cases where ad-hoc norms have already been arrived at by Norms Committee, the Norms Committee may recommend Notification of SION on a case to case basis.

**Effects of this Public Notice:** Para 4.06 and Para 4.14 of the Handbook of Procedures 2023 have been amended to streamline and automate the process of fixation of Norms and Notification of new SIONs under Advance Authorisation Scheme, for ease of doing business and trade facilitation.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.